पत्रांक–5 / स.भू. विविध–250 / 2018...2088...(5) / रा.

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

राम कुमार सिन्हा
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 18-08-2020

विषयः– सरकारी भूमि के अधिग्रहण / हस्तांतरण के एवज में प्राप्त होने वाली राशि सरकारी कोषागार में राजस्व शीर्ष अंतर्गत जमा किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ, निजी कम्पनियों, संस्थानों, निकायों के लिये गैरमजरूआ भूमि / सरकारी भूमि के अधिग्रहण / स्थायी हस्तांतरण / लीज बंदोबस्ती के एवज में भूमि का मूल्य सरकारी कोषागार में राजस्व शीर्ष अंतर्गत जमा किये जाने के उपरांत कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है।

गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल–झाड़ी, जंगल–सखुआ, जंगल इत्यादि) के अपयोजन हेतु एन.ओ.सी. / एफ.आर.ए. उक्त भूमि का 80 प्रतिशत राशि सरकारी कोषागार में अधियाची संस्था द्वारा जमा कराने के पश्चात् निर्गत करने तथा शतप्रतिशत राशि प्राप्त करने के पश्चात सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमति के उपरांत भूमि Release करने का निदेश संसूचित है।

प्रायः विभाग के संज्ञान में ऐसे मामले आते हैं, जिनमें सरकारी भूमि के अधिग्रहण / स्थायी हस्तांतरण / लीज बंदोबस्ती के एवज में प्राप्त होने वाली राशि सरकारी कोषागार में अलग–अलग शीर्षों के अंतर्गत जमा किया जाता है, जिससे अधिग्रहण / स्थायी हस्तांतरण / लीज बंदोबस्ती की गई कुल सरकारी भूमि के विरूद्ध सरकारी कोषागार में कितनी राशि जमा की गई है, इसके संकलन एवं अनुश्रवण में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी भूमि के अधिग्रहण / हस्तांतरण के एवज में देय राशि सरकारी कोषागार में जमा किये जाने हेतु राजस्व शीर्ष निम्नवत् है :–

Major Head (मुख्यशीर्ष)–0029 Land Revenue

Sub-Head-001

Minor Head-106

Head Details- (0029)-002900101060101

शीर्ष इकाई– "सरकारी भूमि के अधिग्रहण / हस्तांतरण के लिए"

अतः अनुरोध है कि सरकारी भूमि के अधिग्रहण / हस्तांतरण के एवज में अधियाची विभाग / निकाय / संस्थान से देय राशि उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत जमा करने के उपरांत अधिग्रहण / स्थायी हस्तांतरण / लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करने एवं एन.ओ.सी. / एफ.आर.ए. निर्गत करने की कृपा की जाय। कृपया अपने स्तर से अधियाची निकायों से संसूचित करने की कृपा की जाय। यदि पूर्व में मुख्यशीर्ष–0029 के अतिरिक्त किसी अन्य शीर्ष में राशि जमा कराया गया है तो उसकी पूर्ण विवरणी (चालान सहित) उपलब्ध कराया जाय, ताकि उसे योजना–सह–वित्त विभाग से सम्पर्क कर सही शीर्ष में जमा कराया जा सके।

विश्वासभाजन

17.8.2020

(राम कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ.पृ.उ.

ज्ञापांक– 2088/रा., राँची, दिनांक 18-08-2020

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक, सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची/अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक, इस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड, सेंकटोरिया पो.–दिशहेरगढ़, जिला–वर्द्धमान–713333/अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.8.20

सरकार के संयुक्त सचिव।